

इज़राइल का अस्तित्व और आत्मरक्षा का अधिकार: एक कानूनी विश्लेषण

वाक्यांश “इज़राइल को अस्तित्व और आत्मरक्षा का अधिकार है” अक्सर इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष में इसके कार्यों को उचित ठहराने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, ये दावे पूर्ण या बिना शर्त नहीं हैं। यह प्रतिक्रिया इज़राइल के “अस्तित्व के अधिकार” और “आत्मरक्षा” के दावों की जांच करती है, जो कि कब्जे और फिलिस्तीनी अधिकारों के संदर्भ में हैं, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जेनेवा सम्मेलनों, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसलों जैसे प्रमुख कानूनी ढांचों पर आधारित है। यह तर्क देता है कि जबकि फिलिस्तीनियों के पास जीवन, आत्मनिर्णय, और प्रतिरोध के लिए अच्छी तरह से स्थापित अधिकार हैं, इज़राइल के इन क्षेत्रों में कानूनी दावे अधिक कमजोर हैं और अक्सर एक कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में इसकी जिम्मेदारियों के साथ असंगत हैं।

क्या इज़राइल को कानूनी “अस्तित्व का अधिकार” है?

अंतरराष्ट्रीय कानून में, राज्यों के लिए कोई स्पष्ट “अस्तित्व का अधिकार” नहीं है। इसके बजाय, राज्य का दर्जा तथ्यात्मक निर्धारण पर आधारित है, जो **मॉन्टेवीडियो सम्मेलन (1933)** पर आधारित है, जिसमें निम्नलिखित की आवश्यकता होती है: - स्थायी आबादी, - परिभाषित क्षेत्र, - कार्यात्मक सरकार, और - विदेशी संबंधों में संलग्न होने की क्षमता।

इज़राइल इन मानदंडों को पूरा करता है और संयुक्त राष्ट्र का एक मान्यता प्राप्त सदस्य राज्य है। हालांकि, “अस्तित्व का अधिकार” की अवधारणा एक राजनीतिक दावा है, न कि कानूनी सिद्धांत। कोई संधि या प्रथागत कानून राज्यों को अमूर्त रूप से स्थायी अस्तित्व का अधिकार नहीं देता।

इसके विपरीत, फिलिस्तीनी लोगों को पूर्ण राज्य के अभाव में भी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अधिकार हैं। **संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 3236 (1974)** उनके “अविच्छेदनीय अधिकारों” को आत्मनिर्णय और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए पुष्टि करता है। ICJ ने अपनी 2004 और 2024 की सलाहकारी राय में पुष्टि की है कि फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय का अधिकार है, जिसे इज़राइल के निरंतर कब्जे द्वारा बाधित किया जा रहा है। 140 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देते हैं, जो उनकी आकांक्षाओं के कानूनी महत्व को रेखांकित करता है। इस प्रकार, जबकि इज़राइल एक राज्य के रूप में मौजूद है, इसका “अस्तित्व का अधिकार” का दावा उस कानूनी आधार से रहित है, जो फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार में निहित है।

क्या इज़राइल कानूनी रूप से कब्जे वाली आबादी के खिलाफ अपनी रक्षा कर सकता है?

इज़राइल अक्सर **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51** का हवाला देता है, जो सशस्त्र हमले के खिलाफ आत्मरक्षा की अनुमति देता है, ताकि गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में सैन्य कार्रवाइयों को उचित ठहराया जा सके। हालांकि, यह प्रावधान अंतर-राष्ट्रीय संघर्षों पर लागू होता है, न कि एक कब्जा करने वाली शक्ति के अपने नियंत्रण में रहने वाली आबादी के खिलाफ कार्यों पर। ICJ ने लगातार यह माना है कि इज़राइल इन क्षेत्रों में कब्जा करने वाली शक्ति बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि इसका आचरण **अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL)**, विशेष रूप से **चौथे जेनेवा सम्मेलन** द्वारा शासित होता है, न कि अनुच्छेद 51 द्वारा।

IHL के तहत, एक कब्जा करने वाली शक्ति को चाहिए: - नागरिकों की रक्षा करना, - सामूहिक दंड से बचना, - बस्तियों के विस्तार से परहेज करना, और - आनुपातिक बल का उपयोग करना।

ICJ की 2024 की राय में पाया गया कि इज़राइल की सैन्य कार्रवाइयां, बस्ती नीतियां, और गाजा की नाकेबंदी इन दायित्वों का उल्लंघन करती हैं, जो वास्तव में अनेक्सेशन और संभावित युद्ध अपराधों के समान हैं। एक कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में, इज़राइल उन लोगों के खिलाफ आत्मरक्षा का कानूनी दावा नहीं कर सकता, जिन्हें वह कब्जा करता है; इसके बजाय, उसे उनके अधिकारों को बनाए रखने की बाध्यता है। यह इन क्षेत्रों में इज़राइल की रक्षात्मक कार्रवाइयों के कानूनी आधार को कमजोर करता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत फिलिस्तीनियों के पास क्या अधिकार हैं?

फिलिस्तीनी अधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून में मजबूती से निहित हैं, जो इज़राइल के अधिक अस्पष्ट दावों के विपरीत हैं:

- **जीवन का अधिकार: नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 6 और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 3** में निहित, यह अधिकार युद्ध के समय में भी अक्षम्य है। फिलिस्तीनी लक्षित हत्याओं, घरों के विध्वंस, और चिकित्सा देखभाल तक सीमित पहुंच के माध्यम से व्यवस्थित उल्लंघनों का सामना करते हैं, जैसा कि मानवाधिकार संगठनों द्वारा दस्तावेजित किया गया है।
- **आत्मनिर्णय का अधिकार: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि** में पुष्टि की गई, यह अधिकार सभी लोगों पर लागू होता है। ICJ और संयुक्त राष्ट्र ने बार-बार उल्लेख किया है कि इज़राइल का कब्जा फिलिस्तीनियों को इस अधिकार से वंचित करता है, जो कि इज़राइल के विपरीत है, जिसने पहले ही राज्य का दर्जा हासिल कर लिया है।

ये अधिकार फिलिस्तीनियों को संघर्ष में एक मजबूत कानूनी स्थिति प्रदान करते हैं, क्योंकि वे विदेशी नियंत्रण के अधीन रहते हैं, जबकि इज़राइल संप्रभुता का उपयोग करता है।

क्या फिलिस्तीनी प्रतिरोध वैध है, या यह आतंकवाद है?

संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 37/43 (1982) उन लोगों के अधिकार को मान्यता देता है जो औपनिवेशिक या विदेशी प्रभुत्व के अधीन हैं, कि वे कब्जे का विरोध करें, जिसमें सशस्त्र संघर्ष भी शामिल है, बशर्ते यह IHL (उदाहरण के लिए, नागरिकों को निशाना बनाने से बचना) का पालन करता हो। यह इज़राइल के कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध को वैध बनाता है।

हालांकि, इज़राइल और संयुक्त राज्य अक्सर इस प्रतिरोध को “आतंकवाद” के रूप में लेबल करते हैं, एक शब्द जो इसके कानूनी आधार को अस्पष्ट करता है। ऐतिहासिक समानताएं इस दोहरे मानक को प्रकट करती हैं: - संयुक्त राज्य ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसक विद्रोह किया, जिसमें बोस्टन टी पार्टी जैसे कार्य शामिल थे। - इज़राइल की स्थापना में **इर्गुन** और **लेही** जैसे समूह शामिल थे, जिन्हें ब्रिटिश द्वारा आतंकवादी कहा गया, फिर भी **मेनकेम बेगिन** जैसे लोग बाद में नेता बने। - दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद युग के दौरान, संयुक्त राज्य ने नेल्सन मंडेला और ANC को आतंकवादी करार दिया, लेकिन अब उनके संघर्ष के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है।

इन मामलों में लागू वैध प्रतिरोध के ढांचे को फिलिस्तीनियों से वंचित करना इतिहास और कानून के साथ असंगत है।

क्या फिलिस्तीन को मान्यता देना “आतंकवाद को पुरस्कृत करना” है?

इज़राइल और संयुक्त राज्य का तर्क है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना हिंसा का समर्थन करता है। फिर भी, उनकी अपनी इतिहास - ब्रिटिश जनादेश के खिलाफ इज़राइल का विद्रोह और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम - इस रुख का खंडन करता है। **संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 67/19 (2012)** ने फिलिस्तीन को गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया, जो इसकी आत्मनिर्णय के लिए वैश्विक समर्थन को दर्शाता है, न कि इसकी रणनीतियों को। मान्यता अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है और कब्जे के मूल कारणों को संबोधित करती है, न कि हिंसा को पुरस्कृत करती है।

निष्कर्ष

इज़राइल अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक राज्य के रूप में मौजूद है, लेकिन राज्य के तथ्यात्मक मानदंडों से परे कोई कानूनी "अस्तित्व का अधिकार" नहीं है। अनुच्छेद 51 के तहत इसका आत्मरक्षा का दावा कब्जे वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, जहां IHL एक कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में सख्त कर्तव्यों को लागू करता है - कर्तव्य जिन्हें इज़राइल ने उल्लंघन किया है। इस बीच, फिलिस्तीनियों के पास जीवन, आत्मनिर्णय, और प्रतिरोध के लिए स्पष्ट, कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार हैं, जिन्हें कब्जे द्वारा अस्वीकार किया गया है। उनके संघर्ष को "आतंकवाद" के रूप में लेबल करना अप्रचलित औपनिवेशिक बयानबाजी को दर्शाता है, जैसा कि संयुक्त राज्य, इज़राइल और दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में देखा गया है। फिलिस्तीन को मान्यता देना अंतरराष्ट्रीय कानून और ऐतिहासिक न्याय को पूरा करता है, न कि हिंसा को। शांति के लिए कानून के समान अनुप्रयोग की आवश्यकता है, न कि एक पक्ष को बयानबाजी के दावों के साथ संरक्षण देने की।